



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

मारपीट की घटना कारित करने के आरोपी दीपक उर्फ लेबरा को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 01 वर्ष 09 माह के कठोर कारावास की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2019 में अभियुक्त दीपक उर्फ लेबरा पुत्र सुभाष निवासी बड़ौली रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा मारपीट करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 786/2019 धारा 147/148/149/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग की श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 06.12.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल एससी/एसटी एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त दीपक उर्फ लेबरा को दोषी पाते हुए 01 वर्ष 09 माह के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 06.12.2024

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत

पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विपुल पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम महावतपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 आशीष कुमार थाना बडौत ।
- 2-है0का0 65 महिपाल सिंह थाना बडौत ।
- 3-का0 1058 शरद यादव थाना बडौत ।
- 4-का0 984 दीपक शर्मा थाना बडौत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 06.12.2024

थाना बडौत पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाईबाडी करते समय एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से सट्टा पर्चा , डायरी , पैस व 580 रूपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से सट्टा पर्चा , डायरी , पैस व 580 रूपये नगद बरामद हुए हैं।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 820/24 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमन पुत्र इस्लामुदीन उर्फ कल्लू निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- सट्टा पर्चा।
- डायरी ,पैन ।
- 580 रूपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत ।
- 2-है0का0 65 महिपाल सिंह थाना बडौत ।
- 3-का0 1058 शरद यादव थाना बडौत ।
- 4-का0 984 दीपक शर्मा थाना बडौत ।



दिनांक 06.12.2024

थाना बालैनी पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा



02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-जोनी उर्फ हरेन्द्र पुत्र हरि सिंह निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-अंकुर पुत्र भरत सिंह निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री अनिल शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-उ०नि० श्री सलीम अहमद थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-06.12.2024

थाना दोघट पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित पुत्र मुकेश निवासी मोहल्ला रायजादगान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 रजत ढाका थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-का0 587 अंकुल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक- 06.12.2024

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 337/2024 धारा 305/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई साईकिल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-06.12.2024 को वादी संजीव पुत्र वीरेन्द्र निवासी ग्राम खेडकी थाना छपरौली जिला बागपत द्वारा उसकी साईकिल को चोरी करते हुए अभियुक्त गुडडू पुत्र धर्मवीर निवासी कसेरवा कला थाना आदर्श मण्डी शामली को जनता की मदद से पकडकर थाने लाया गया । थाना रमाला पुलिस द्वारा अभियुक्त गुडडू को गिरफ्तार किया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 337/2024 धारा 305/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गुड्डू पुत्र धर्मवीर निवासी कसेरवा कला थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई 01 साईकिल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-का0 963 प्रभात यादव थाना रमाला जनपद बागपत ।

2.का0 1061 अनुराग थाना रमाला जनपद बागपत ।

